

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।


क्रमांक:- स. 3-6(8)स्था/मंत्रा/अभि/20/9305-55 दिनांक :- 19/08/2020

आदेश :-

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 36 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के निम्नलिखित अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2020-21 की रिक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 के पे मेट्रिक्स लेवल -12 में पदोन्नत किया जाता है:-


क्र०स०	कार्मिक का नाम	वर्ग	वर्तमान पदस्थापन स्थान	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया	विशेष विवरण
1	3	4	5	6	7
1.	श्री श्रवण कुमार मीणा पुत्र श्री हनुमानाराम	एस.टी.	—	दिनांक 1.4.2020	से०नि० दि० 30.6.20

उपरोक्त पदोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक प. 13(5) साप्र/3/08 दिनांक 09.07.2020 द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।


(राजेन्द्र कुमार सैनी)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
2. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित ।
3. समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान (मु.) सहित ।
4. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन ।
5. सम्बन्धित कार्मिक ।
6. निजी पत्रावली/समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली ।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर